

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

पत्रांक : दर:डे०:संग्र०: 314

दिनांक : 31.05.2025

परिवहन निविदा सूचना

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, समस्तीपुर अन्तर्गत दरभंगा क्षेत्र के विभिन्न दुग्ध पथों में स्थित दुग्ध समितियों से डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क मिल्क कूलर तक कच्चे दूध का परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के गाड़ियों यथा पिकअप या समतुल्य एवं टाटा 407 वाहन भाड़े पर देने वाले इच्छुक संवेदक (गाड़ी मालिक) से मुहर बंद लिफाफे में दिनांक 16.06.2025 को 5.30 बजे अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

एकरारनामा से सम्बन्धित शर्तें पथ की विवरणी इत्यादि के साथ निविदा प्रपत्र दिनांक 01.06.2025 से 14.06.2025 के बीच कार्यालय दिवस से 1000/- रुपये में नगद जमा कर दरभंगा डेयरी के रोकड़ काउण्टर से प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र संघ के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जिसको डाउनलोड कर तथा भर कर जमा करने के समय 1000 रुपये का डिमाण्ड ड्रफ्ट संलग्न करना होगा। निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी एवं एकरारनामा प्रति वेबसाइट www.mithiladairy.com से डाउनलोड कर सकते हैं।

दिनांक 10.06.2025 को प्रभारी संग्रहण, दरभंगा डेयरी, दरभंगा के कक्ष में प्री-बीड मीटिंग में निविदादाता भाग लेंगे एवं निविदा सम्बन्धी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

दिनांक 17.06.2025 को 11:30 बजे से प्रभारी संग्रहण दरभंगा डेयरी, दरभंगा के कक्ष में टेक्निकल बीड खोली जाएगी। जिसमें इच्छुक निविदादाता/प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

टेक्निकल बीड में सफल निविदादाता का निविदा दिनांक 18.06.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में वित्तीय बीड उपरोक्त कार्यालय में खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने/निविदा की तिथि घटाने या बढ़ाने का अधिकार प्रबंध निदेशक, मदुस, समस्तीपुर को सुरक्षित होगा।


प्रभारी पदाधिकारी
दरभंगा डेयरी, दरभंगा 31/05/2025

अनु० : निविदा प्रपत्र (कुल पृष्ठ-20)

प्रति० : नोटिस बोर्ड

समस्तीपुर डेयरी/दरभंगा डेयरी/रोसड़ा/मधुबनी दुग्ध शीतक केन्द्र।

: प्रबन्ध निदेशक, मदुस, समस्तीपुर

: सहायक महाप्रबंधक (प्रापण एवं प्लांट)

: जूनियर प्रोग्रामर मदुस-कृपया वेबसाइट पर अपलोड करना चाहेंगे।

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

निविदा सूचना संख्या 01/2025

दुग्ध संग्रहण परिवहन निविदा-सारांश

1. निविदाकर्ता का पता : प्रभारी पदाधिकारी, दरभंगा डेयरी, दरभंगा
चुनाभट्टी, पो०-लक्ष्मीसागर, दरभंगा,
बिहार-846009
2. निविदा सूचना तिथि : 31.05.2025
3. प्रीबीड मीटिंग : 10.06.2025
4. निविदा प्रपत्र क्रय की तिथि : 01.06.2025 से 14.06.2025 के शाम 3 बजे तक
5. निविदा प्रपत्र मूल्य : ₹0 1000.00 (₹0 एक हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं
6. निविदा प्रपत्र की प्राप्ति : दरभंगा डेयरी के रोकड़ शाखा से किसी भी कार्य
दिवस में 11.00 पूर्वा० से 3.00 अपराह्न तक शुल्क
जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।
7. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 16.06.2025 को शाम 5:00 बजे तक
दरभंगा डेयरी, दरभंगा के संग्रहण भाखा में
कुरियर/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/निविदादाता
स्वयं भी जमा कर सकता है, तथा समय पर आवेदन
प्राप्त नहीं होने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. टेक्निकल बीड खोलने की तिथि : दिनांक 17.06.2025 को 11:30 बजे पूर्वा०
प्रभारी संग्रहण, दरभंगा डेयरी, दरभंगा के कक्ष में क्रय
कमिटी एवं उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोला
जायेगा।
9. वित्तीय बीड खोलने की तिथि : तकनीकी निविदा में सफल निविदा का वित्तीय बीड
दिनांक 18.06.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न
प्रभारी संग्रहण, दरभंगा डेयरी, दरभंगा के कक्ष में क्रय
कमिटी एवं उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोला
जायेगा।



10. अग्रधन/जमानत राशि

: प्रत्येक पथ के तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन की राशि 5000/- (पाँच हजार) रु० का बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे। सफल निविदादाता का अग्रधन की राशि जमानत राशि के रूप में समायोजित कर ली जायेगी एवं असफल निविदादाता का अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता शर्त के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होने पर अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं अग्रधन राशि तकनीकी निविदा के साथ संलग्न नहीं रहने पर निविदा रद्द कर दी जायेगी।

निविदा प्रपत्र में निविदा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निविदा शर्तों की विवरणी पथ के अनुसार गाड़ियों का प्रकार तथा टेक्निकल बीड एवं वित्तीय बीड के प्रपत्र संलग्न रहेंगे।

प्रबंध निदेशक, मद्रास, समस्तीपुर को बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार होगा।

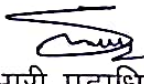

प्रभारी पदाधिकारी
दरभंगा डेयरी, दरभंगा 31/05/2025

- अनु० : दुग्ध परिवहन निविदा भरने संबंधित सामान्य शर्तें (पृष्ठ सं० 4)
: कार्य अनुबंध की सामान्य शर्तें एवं दिशानिर्देश (पृष्ठ सं० 5-7)
: तकनीकी बिड प्रारूप (पृष्ठ सं० 8-10)
: वित्तीय बिड प्रारूप अनुलग्नक सहित (पृष्ठ सं० 11-12)
: चेक लिस्ट (पृष्ठ सं० 13)
: एकरारनामा की शर्तें (पृष्ठ सं० 14-19)
: बन्ध पत्र (पृष्ठ सं० 20)
:

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० दरभंगा डेयरी, दरभंगा

दुग्ध परिवहन निविदा भरने से संबंधित सामान्य शर्तें

1. प्रत्येक पथ के लिए निविदा अलग-अलग भरे तथा डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक पथ के लिए 1000.00 (एक हजार) रु० का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करें एवं दरभंगा डेयरी से नगद क्रय किये निविदा प्रपत्र के साथ मनी रसीद संलग्न करें, डिमाण्ड ड्राफ्ट मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० के नाम से समस्तीपुर में भुगतये होगा। बिना ड्राफ्ट अथवा मनी रसीद संलग्न तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा प्रपत्र में परिवहन दर प्रति किलोमीटर के आधार पर अंकित किया जाए। परिवहन दर में लागू टोल टैक्स सम्मिलित होगा। अर्थात् संघ द्वारा टोल टैक्स का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।
3. संबंधित अनुलग्नक सहित निविदा एवं वित्तीय निविदा भरकर अलग-अलग लिफाफे में रखे एवं बंद कर दोनो लिफाफे के उपर निविदादाता अपना नाम/पता डेयरी कार्यालय का पता पथ संख्या जिसके लिए निविदा दी गई है एवं निविदा सूचना संख्या लिखें। तकनीकी निविदा के उपर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के उपर वित्तीय अलग-अलग भरें। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखें एवं बंद करें। बड़े लिफाफे के उपर निविदादाता अपना नाम/पता/संघ कार्यालय का पता पथ सं०/पथ का नाम जिसके लिये निविदा दी गयी है निविदा सं० एवं निविदा जमा करने का अन्तिम तिथि अर्थात् 16.06.2025 लिखें। इस बड़े लिफाफे को डेयरी कार्यालय में अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करें।
4. भरे हुए निविदा के साथ गाड़ी का ऑनर-बुक, रोड परमिट, फिटनेश एवं टैक्स टोकन तथा बीमा संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करें (निविदादाता के नाम से गाड़ी होना अनिवार्य है)
5. भरे निविदा कुरियर/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं स्वयं हाथों संघ मुख्यालय के कार्यालय में दिनांक 16.06.2025 को 5:30 बजे अप० तक जमा करें। डाक या किसी अन्य कारण से विलम्ब से प्राप्त निविदा के लिए संघ जिम्मेवार नहीं होगा।
6. निविदा दिनांक 17.06.2025 को 11:30 बजे पूर्वा० दिन में दरभंगा डेयरी के प्रभारी संग्रहण के कक्ष में खोली जायेगी जिसमें निविदादाता/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
7. अलग-अलग पथों के लिए अलग-अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्रधन राशि 5000.00 (पाँच हजार) रु० का ड्राफ्ट जमा किया जायेगा परंतु एक गाड़ी नंबर का सिर्फ एक ही पथ में निविदा भरा जायेगा। अगर संघ को एक गाड़ी नंबर का एक से अधिक पथों के लिए निविदा प्राप्त होता है वैसी स्थिति में सभी निविदा रद्द कर दी जायेगी अर्थात् वैसे प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।


प्रभारी पदाधिकारी
दरभंगा डेयरी, दरभंगा

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० दरभंगा डेयरी, दरभंगा

दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका के अनुबंध की सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश

दुग्ध संग्रहण परिवहन एक अति आवश्यक एवं नियमित सेवा है। इस कार्य के ठेका सामान्य शर्तों एवं दिशा निर्देश निम्न प्रकार है:-

- 1 निविदा प्रस्तुत दर स्वीकृत्यादेश की तिथि से सामान्यतः दो वर्ष के लिये लागू रहेगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अधिकतम एक वर्ष के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा।
- 2 प्रतिदिन दोनों पाली में निविदित पथ के लिये मिथिला दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप दुग्ध समितियों में संग्रहित दूध का परिवहन कर समस्तीपुर डेयरी/ दुग्ध शीतक केन्द्र/बल्क मिल्क कूलर तक पहुंचाना होगा।
- 3 दुग्ध समितियों से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप भंडार शाखा से सुधादाना एसिड अल्कोहल आदि सामग्री (समितियों में प्रयोग हेतु) प्राप्त कर समितियों का पहुंचाना होगा।
- 4 दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर निर्गत समय-सारणी से विलम्ब से दूध पहुंचाने के कारण समितियों से प्राप्त दूध के खट्टा या दही हो जाने से समितियों को हुए पूर्ण क्षति की कटौती परिवहन विपत्र से की जायेगी।
- 5 कार्यादेश में अंकित गाड़ी द्वारा ही दूध परिवहन का कार्य करेंगे। गाड़ी के खराब होने की स्थिति में उक्त शर्त संघ द्वारा शिथिल किया जायेगा परन्तु इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दुग्ध संघ को देनी होगी जिसमें नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का गाड़ी नम्बर तथा अवधि का उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेदारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नयी गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नही हो।
- 6 दुग्ध पथ का विस्तार संकुचन अथवा दुग्ध संग्रहण बंद करना (परिस्थिति के अनुसार) दुग्ध संघ प्रबंधन का अधिकार होगा एवं समय-समय पर निर्गत आदेश आपको मान्य होगा।
- 7 गाड़ी चालक के अतिरिक्त एक दक्ष खलासी का रहना अनिवार्य है ताकि केन लोडिंग अन लोडिंग कार्य सुचारु रूप से हो सके।
- 8 वास्तविक परिचालित दूरी के आधार पर संग्रहण शाखा द्वारा परिवहन विपत्र भुगतान की अनुशंसा की जाती है इसके लिए संबंधित पदाधिकारी से परिचालित दूरी सत्यापित कराना आवश्यक होगा। गाड़ी का किलोमीटर दर्शाने वाला मीटर सही स्थिती में रखना आवश्यक होगा।
- 9 अन्य शर्तें परिहवन एकरारनामा में निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगा।
- 10 ठेका प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा कार्यालय में जमा करना आवश्यक है अन्यथा विपत्र भुगतान बाधित हो सकता है जिसकी जवाबदेही आपकी होगी।
- 11 डेयरी को उपलब्ध कराये जा रहे परिवहन गाड़ी के सभी कागजात एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस अद्यतन रहना अनिवार्य होगा।
- 12 निविदा प्रपत्र 2 भाग में है-(क) टेक्निकल बीड (ख) वित्तीय बीड
- (क) टेक्निकल बीड में उल्लेखित सभी कागजातों की छायाप्रति तथा निविदा प्रपत्र का शुल्क एवं अग्रधन राशि का ड्राफ्ट/रसीद संलग्न कर लिफाफा में बंद कर सील करे तथा लिफाफा पर टेक्निकल बीड एवं अंतिम तिथि 16.06.2025 एवं निविदित पथ का नाम लिखना आवश्यक है।
- (ख) वित्तीय बीड में परिहवन दर एवं व्यौरा भर कर अलग से लिफाफा में भर कर बन्द करना होगा तथा लिफाफा पर वित्तीय बीड एवं निविदित पथ का नाम लिखना आवश्यक है।
- (गा) दोनों लिफाफा को अन्य तीसरे बड़े लिफाफा में डालकर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/स्वयं के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा। लिफाफा पर संग्रहण परिवहन ठेका एवं अंतिम तिथि 16.06.2025 तथा निविदित पथ का नाम एवं संख्या तथा निविदादाता का नाम एवं पुरा पता लिखना अनिवार्य है
- (घ) सर्वप्रथम टेक्निकल बीड खोला जायेगा तथा उसमें सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड कमिटी एवं निविदादाता के समक्ष खोला जायेगा।



- 13 निविदादाता से अलग-अलग पथ के लिए अलग-अलग दर निविदा स्वीकार्य होगा।
- 14 निविदादाता एवं अन्य पार्टियों से आवश्यक समझे जाने पर निगोसियेशन द्वारा दर निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार मिथिला दुग्ध संघ प्रबंधन को सुरक्षित रहेगा। सभी निविदाओं को अस्वीकार करने एवं किसी निविदा को आंशिक या पूर्ण अस्वीकृत करने निविदादाताओं में आवश्यकतानुसार कार्य का बंटवारा करने का अधिकार मिथिला दुग्ध संघ प्रबंधन को सुरक्षित रहेगा।
- 15 सफल निविदादाताओं को मिथिला दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तों पर दूध परिवहन कार्य हेतु स्थानीय कोर्ट से 1000/-रुपया मात्र के ननजुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के अनुसार कार्य संपादन नहीं करने पर सिक्कुरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी एवं तत्काल ठेका रद्द कर दिया जायेगा। एकरारनामा में कोर्ट से शपथ पत्र बनाना होगा तथा दो जमानतदार से जमानत देनी होगी।
- 16 परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन कार्य बंद करने के लिए कम से कम एक महीने की अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है।
- 17 परिवहन संवेदक पाक्षिक विपत्र भुगतानार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। विपत्र प्राप्ति के 15 वे दिन तक बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौती (समिति दावा क्षति आयकर इत्यादि) के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
- 18 तकनीकी बीड के साथ अग्रधन की राशि प्रत्येक पथ के निविदा के लिये 5000/- रुपये मात्र अलग-अलग पथ के लिए होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० के पक्ष में समस्तीपुर में भुगतेय होगा संलग्न करेंगे। सफल निविदादाताओं के अग्रधन की राशि के रूप में समायोजन किया जायेगा जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अग्रधन राशि का ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निविदादाता का अपने स्वामित्व का गाड़ी का होना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगी। अगर संघ को एक गाड़ी नम्बर का एक से अधिक पथों के लिये निविदा प्राप्त होता है वैसी स्थिति में निविदादाता के सभी निविदा रद्द कर दिया जायेगा अर्थात् वैसे प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 19 तकनीकी बिड के आवश्यक शर्तों के सन्दर्भ में प्रमाण के रूप में माँगे गये दस्तावेजों या उसके अनुरूप मानक पुरा नहीं करने पर आवेदक/निविदादाता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा एवं उनके वित्तीय बिड नहीं खोला जायेगा। जिसके कारण निविदादाता का निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उनको अग्रधन राशि 5000/- रु० मात्र वापस कर दी जायेगी।

कार्यालय का पता—दरभंगा डेयरी, दरभंगा, चूनाभट्टी, लक्ष्मीसागर, दरभंगा बिहार 846009

- 20 स्वीकृत निविदा का सूचना गाड़ी मालिक (निविदादाता को मिलने के उपरान्त जमानत राशि जमा नहीं करने या आवंटित कार्य न्यूनतम 15 दिनों तक सम्पादित नहीं करने की स्थिति में अग्रधन राशि 5000/- मात्र संघ द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
- 21 सशर्त निविदा अमान्य किया जा सकता है।
- 22 डीजल दर रु० 92.34. प्रतिलिटर के अनुरूप दर निवेदित करेंगे।
- 23 एकरारनामा प्रारूप के सभी पृष्ठों को सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर तकनीकी बिड के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 24 दर परिवर्तन कुल मिलाकर डीजल मूल्य में वृद्धि अथवा कमी दो रुपया या उससे अधिक होने की दशा में अगस्त 2024 के माह में डीजल का दर रु० 92.34 प्रतिलीटर को आधार मानते हुए निर्धारित दर वर्ष में तीन बार क्रमशः 01 जनवरी, 01 मई एवं 01 सितम्बर से चार-चार माह के अन्तराल पर परिवर्तनीय होगा। जो पथ में तय की जा रही दूरी पर आधारित होगा। डीजल की खपत प्रति लीटर टाटा ACE के लिए 14 कि०मी० पिकअप भान के लिए 10 कि०मी० टाटा 407 के लिए 08 कि०मी० टाटा 709/समतुल्य के लिए 06 कि०मी० मानकर गणना की जायेगी। संशोधित दर उसके अगले भुगतान अवधि से लागू होगा।
- 25 परिवहन कर्ता से किसी भी प्रकार के बकाये की वसुली पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत की जायेगी।



- 26 निविदित परिवहन गाड़ी का मॉडल (निबंधन) 08 (आठ) वर्ष पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिये। यह शर्त पुरे कार्य अवधि मे लागू रहेगा एवं गाड़ी से संबंधित सभी कागजात जिला परिवहन कार्यालय मान्य भातों के अनुरूप होनी चाहिए।
- 27 पूर्व से नियुक्त परिवहनकर्ता जो निविदा भरने को इच्छुक है परन्तु उनके पूर्व 2 (दो) साल के कार्यावधि मे अगर दूध चोरी का आरोप सिद्ध हुआ हो तो वे निविदा भरने के लिए अयोग्य माने जाएंगे।
- 28 सभी चयनित निविदादातों को FSSAI Licence (परिवहन) स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के बाद जमा करना अनिवार्य है।

विवरणी

क्र मां क	पथ संख या	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी लगभग दोनो मिलाकर (कि०मी०)	केंनो की संख या	दर रु० प्रति कि०मी०	अभ्युक्ति
		कहाँ से	कहाँ तक					
1	11 A	दरभंगा डेयरी	कोरा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	164	50		
2	11C	दरभंगा डेयरी	गोढैला वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	140	50		
3	11D	दरभंगा डेयरी	कमलपुर, पंचोभ वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	85	50		
4	14	कहुआ बी.एम. सी	चकला, सुहथ, भाया पिपड़ा वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	156	50		
5	31	दरभंगा डेयरी	चक्का लहवार भाया अंदामा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	150	50		
6	35	महवा बी.एम. सी	कोनीघाट वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	90	50		
7	37	झिलोरि या बी. एम.सी	जमालपुर वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	200	50		
8	38	दरभंगा डेयरी	पुरुशोत्तमपुर वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	171	50		
9	43	कमतौ ल बी. एम.सी	भगवतीपुर वापस कमतौल बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	123	50		
10	32A	झिलोरि या बी.एम. सी	तिलके वर, वि जुनिया पूर्वी, हरिनाही वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	108	50		
11	16+2 4A	महवा बी.एम. सी	उसरी इनाई वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	80	50		

दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका कार्य हेतु अनुमोदित
टेक्निकल बीड प्रपत्र

(क्रमशः 01,02,05,07,08 एवं 10 तकनीकी रुप से योग्य होने हेतु पुरा करना आवश्यक होगा)

निविदा सूचना संख्या

तिथि

01 पथ का नाम जिसके लिये निविदा दी जा रही है।

पथ संख्या :-

पथ का नाम:-

02 निविदादाता का पुरा नाम :-

(आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र संलग्न करें)

(क) स्थायी पता :-

ग्राम

पंचायत

जिला

पत्रालय

प्रखंड

राज्य

(ख) वर्तमान पता :-

ग्राम

पंचायत

जिला

पत्रालय

प्रखंड

राज्य

03 जन्म तिथि

04 शैक्षणिक योग्यता

05 ईमेल आईडी0

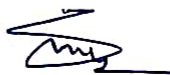
मोबाईल नं0

06 दुग्ध संग्रहण परिवहन व्यवसाय का अनुभव वांछनीय - हाँ/नहीं
यदि हो तो कब से

07 गाड़ी का पूर्ण विवरण

(क) गाड़ी का प्रकार (ख) मॉडल

निविदादाता का हस्ताक्षर



(ग) निबंधन संख्या :..... (ऑनर बुक का फोटो कॉपी संलग्न करें)

(घ) क्या गाड़ी मालिक आप है हाँ / नहीं

(ड) गाड़ी का बीमा अद्यतन है :- हाँ/नहीं

(च) गाड़ी का मॉडल वर्ष 2017 के अप्रैल के बाद का मान्य होगा।

(छ) फिटनेश प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी संलग्न करें।

(ज) रोड टैक्स का फोटो कॉपी संलग्न करें।

(झ) चालक का ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो कॉपी संलग्न करे।

(त) गाड़ी मालिक निविदित पथ संख्या का निवासी नहीं होना चाहिए।

08 अपना पैन नम्बर लिखे
(फोटो कॉपी संलग्न करें)

09 बैंक खाता संख्या :-
बैंक का नाम :

(विगत छः माह का बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का फोटो कॉपी संलग्न करें)

बैंक में कम से कम एक लाख रुपया तीन महीने अथवा इससे अधिक टांजेक्सन होना चाहिए)

10 (क) निविदा के साथ जमा किय गये अग्रधन राशि रु0 50000/- की विवरणी

बैंक ड्राफ्ट की संख्या एवं तिथि :-

ड्राफ्ट की राशि :-

बैंक का नाम :-

(ख) निविदा प्रपत्र के मूल्य की राशि 1000/- मात्र की विवरणी

रसीद संख्या :- या बैंक ड्राफ्ट संख्या :

11 क्या आप उपर दर्शाये गये गाड़ियों को निविदा खुलने / अन्य निर्धारित तिथि को डेयरी परिसर में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं: हाँ/नहीं

निविदादाता का हस्ताक्षर

12 क्या आपने दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका के अनुबंध की सामान्य शर्तों एवं दिशा निर्देश को पढ़ कर एवं समझ कर निविदा भर है एवं आप उसके अनुरूप परिवहन कार्य करने के लिए सहमत है:-

हाँ/नहीं

13 क्या आपने मिथिला दुग्ध संघ को नियमित रूप से प्रतिदिन दूध परिवहन कार्य ठेका के शर्तों को मानते हुए गाड़ी उपलब्ध कराने हेतु सक्षम एवं तैयार है।

हाँ/नहीं

14 सफल निविदादाता का अग्रधन की राशि जमानत राशि के रूप में संघ में समायोजित कर रख ली जायेगी एवं असफल निविदादाता का अग्रधन राशि लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाताओं द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

गाड़ी का प्रकार

पिकअप/टाटा 407/टाटा 709

टाटा (ACE)

जमानत की राशि (रु०)

25000/-

20000/-

‘सत्यापन’

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर प्रस्तुत सभी सूचनायें सत्य हैं यदि मेरी निविदा स्वीकार की जाती है तो अनुमोदित दर पर एकरारनामा एवं इसमें अंकित शर्तों को मानते हुये नियमित रूप से दुग्ध संग्रहण परिवहन कार्य ठेका के आधार पर करने के लिए तैयार हूँ।

दिनांक

निविदादाता का पूरा हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

अनुलग्नक :

1. चेक लिस्ट
2. निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति
3. पहचान पत्र की छायाप्रति (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)
4. कम से कम छः माह का बैंक स्टेटमेंट (छः माह से अधिक पीछे अवधि का न हो)
5. गाड़ी का ऑनर बुक/रोड परमिट/फिटनेश/टैक्स जमा टोकन/इंश्योरेंस की कागजात
6. पैन कार्ड की छायाप्रति
7. निविदा प्रपत्र मूल्य रु० 1000/- मात्र का मनी रिसिट या बैंक ड्रफ्ट (मूल प्रती) एवं अग्रधन राशि 5000/- का बैंक ड्राफ्ट (मूल रूप में)

दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका कार्य हेतु अनुमोदित
वित्तीय बीड प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या

तिथि

01 निविदादाता का पुरा नाम :-

(क) स्थायी पता :-

ग्राम

पत्रालय

पंचायत

प्रखंड

जिला

राज्य

(ख) वर्तमान पता :-

ग्राम

पत्रालय

पंचायत

प्रखंड

जिला

राज्य

02 ईमेल आईडी0

मोबाईल नं0

03 निविदित दर परिशिष्ट-01 में दर्शाये गये पथ के सामने अंकित किया/भरा जायेगा, जो स्वीकृत्यादेश की तिथि से दो वर्ष के लिये लागू रहेगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर

अनुलग्नक : परिशिष्ट-01 में दुग्ध परिवहन पथों की विवरणी दी गयी है जिसमें आपके द्वारा भरा जायेगा।



परिशिष्ट - 01

क्र०	पथ सं०	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	दूरी लगभग दोनो मिला कर	कैन की संख्या	दर रुपया प्रति कि०मी०	अभि०
		कहाँ से	कहाँ तक					
1	11 A	दरभंगा डेयरी	कोरा वापस दरभंगा डेयरी	टाटा 407 / समतुल्य	164	50		
2	11C	दरभंगा डेयरी	गोढैला वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	140	50		
3	11D	दरभंगा डेयरी	कमलपुर, पंचोभ वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	85	50		
4	14	कहुआ बी. एम.सी.	चकला, सुहथ, भाया पिपड़ा वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	156	50		
5	31	दरभंगा डेयरी	चक्का लहवार भाया अंदामा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	150	50		
6	35	महवा बी.एम.सी.	कोनीघाट वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	90	50		
7	37	झिलोरिया बी.एम.सी.	जमालपुर वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	200	50		
8	38	दरभंगा डेयरी	पुरुशोत्तमपुर वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	171	50		
9	43	कमतौल बी.एम.सी.	भगवतीपुर वापस कमतौल बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	123	50		
10	32A	झिलोरिया बी.एम.सी.	तिलके वर, वि. गुनिया पूर्वी, हरिनाही वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	108	50		
11	13+24A	महवा बी.एम.सी.	उसरी इनाई वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	80	50		

प्रबंध निदेशक, मधुस, समस्तीपुर को बिना कारण बताए प्राप्त निविदा को पूर्ण/आंशिक रूप से रद्द/स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी पदाधिकारी,
दरभंगा डेयरी, दरभंगा
31/05/2025

चेक लिस्ट

	अनुलग्नक	चिन्हित करे हाँ / नहीं
1	पहचान पत्र की प्रति (सरकार द्वारा मान्यता योग्य)	हाँ / नहीं
2	बैंक स्टेटमेंट/जमा विवरण की प्रति (छ: माह से कम का ना हो)	हाँ / नहीं
3	गाड़ी का ऑनर बुक/रोड परमिट/फिटनेस इश्योरेन्स कागजात की प्रति	हाँ / नहीं
4	निविदा प्रपत्र हेतू रु0 1000/- का मनी रसीद या बैंक ड्राफ्ट (मूल रुप मे)	हाँ / नहीं
5	पैन कार्ड की प्रति	हाँ / नहीं
6	निर्धारित अग्रधन राशि रु0 5000/- का बैंक ड्राफ्ट (मूल रुप मे)	हाँ / नहीं

निविददाता का पूरा हस्ताक्षर



दुग्ध परिवहन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा आज दिनांक को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर डेयरी जिसका कार्यालय औधौगिक क्षेत्र, पोस्ट – हरपुर एलौथ, समस्तीपुर में अवस्थित है, की तरफ से प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष के रूप में जिसे आगे "दुग्ध संघ" से संबोधित किया जायेगा तथा दूसरा पक्ष श्री (गाड़ी मालिक का नाम) पिता..... ग्राम .
..... पो0 थाना जिला के स्थायी निवासी है तथा जिनका पत्राचार का पता दूरभाष/मोबाईल संख्या जिसे आगे "संवेदक" से संबोधित किया जायेगा के बीच सम्पादित किया जाता है।
दुग्ध संघ द्वारा दिनांक से की अवधि के लिए गाँव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों से संग्रहित कच्चे दूध को (डेयरी/शीतक केन्द्र का नाम) जो दुग्ध संघ की इकाई है, तक परिवहन करने तथा समितियों को जॉच समान, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न सामग्रियों का परिवहन कराने के उद्देश्य से नियुक्त संवेदक को कार्यादेश संख्या दिनांक निर्गत किया गया है जिसे संवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त निर्गत कार्यादेश में अंकित सभी शर्तें एकरारनामा के शर्तों का हिस्सा समझा जायेगा जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए सहमत है।

दोनों पक्षों द्वारा एकरारनामा में उद्धृत क्रमांक 01 से 30 में अंकित सभी शर्तों को पूर्णरूप से पढ़कर, समझकर एवं बिना किसी दबाव के उपरोक्त अंकित तिथि को नीचे अंकित साक्षी की उपस्थिति में अनुबंध किया गया –

हस्ताक्षर
(दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)

हस्ताक्षर
(संवेदक)

उपस्थिति मे (पूर्ण पता सहित)

उपस्थिति मे (पूर्ण पता सहित)

01.

01.

02.

02.



दुग्ध परिवहन एकरारनामा की शर्तें

1. यह एकरारनामा दिनांक से अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। एकरारनामा अवधि की समाप्ति के पश्चात अधिकतम तीन माह के लिए अवधि विस्तार का अधिकार "दुग्ध संघ" को होगा जिसे "संवेदक" मानने के लिए बाध्य होंगे। अवधि विस्तार के दौरान सभी शर्तें पूर्ववत् लागू रहेगी। पुनः आपसी सहमति के आधार पर कार्य अवधि का विस्तार अधिकतम 1 वर्षों तक किया जायेगा जिसके लिए एकरारनामा करना होगा।
2. एकरारनामा अवधि के दौरान एकरारनामा समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ द्वारा कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना संवेदक को दिया जायेगा जबकि संवेदक को उक्त स्थिति में न्यूनतम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना दुग्ध संघ को दिया जाना आवश्यक होगा।

अत्यंत ही विशेष परिस्थिति जिसमें दुग्ध संघ को ऐसा महसूस होता है कि संवेदक के जारी रहने से दुग्ध समिति/दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान होगी तो वैसी परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा चौबीस घंटे पूर्व लिखित सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की सूचना पंजीकृत पत्र निर्गत की तिथि से ही संवेदक को प्राप्त माना/समझा जायेगा।
3. एकरारनामा के पूर्व दुग्ध संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश के अनुसार एकरारनामा के दिये गये शर्तों के परिपालन के एवज में संवेदक द्वारा जमानत राशि (.....) रु0 दुग्ध संघ में जमा किया गया जिसपर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

एकरारनामा की समाप्ति के पश्चात (अवधि समाप्ति अथवा संवेदक द्वारा वैध नोटिस दिये जाने के कारण) संवेदक द्वारा सभी समितियों के सचिव द्वारा निर्गत एवं संघ /शीतक केन्द्र के भंडार से "बकाया नहीं प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के पश्चात सभी वसूलनीय राशि की कटौति के पश्चात (यदि कोई हो तो) तीन माह के अंदर जमानत राशि का भुगतान संघ द्वारा किया जायेगा। संवेदक की सुविधा के लिए संवेदक के कार्य समाप्ति की सूचना दुग्ध संघ के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सभी समितियों को 15 दिन का समय देते हुए बकाया सम्बन्धी दावा प्रस्तुत करने का लिखित निर्देश निर्गत करेगा इसके अतिरिक्त एकरारनामा में उद्धृत शर्तों के आधार पर जमानत राशि के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा।
4. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर निर्गत समय-सारणी के अनुसार सुबह तथा शाम पाली में दूध सहित केन समितियों से प्राप्त कर दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क कूलर समिति) तक परिवहन की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। निर्धारित समय से विलम्ब से दूध पहुंचाने के कारण समितियों से प्राप्त दूध के खट्टा या दही हो जाने से समितियों को हुए पूर्ण क्षति की कटौति संवेदक के विपत्र से की जायेगी।
5. दुग्ध संघ से प्राप्त केन, समिति को संबोधित पत्र, एसीड, अल्कोहल, पशु आहार, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चारा बीज इत्यादि संघ द्वारा निर्गत सभी सामान संबंधित समितियों को देने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उसी प्रकार समितियों से प्राप्त सभी सामान (केन सहित कच्चे दूध के अतिरिक्त) जैसे - मॉग-पत्र, पत्र, एसीड, अल्कोहल का खाली जार इत्यादि प्रत्येक पाली में दुग्ध संघ के गेट पर जमा करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। परिवहन के दौरान सामान के टूट-फूट, खोने की कमी, गुणवत्ता में अंतर इत्यादि कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई क्षति की कटौति संवेदक से की जायेगी।
6. संवेदक द्वारा प्रत्येक पाली (सुबह/शाम) का ट्रक-शीट उसके अगले पाली में (सुबह पाली का ट्रक-शीट शाम पाली में तथा शाम पाली का ट्रक-शीट सुबह पाली में) संबंधित समितियों के प्रतिनिधि (सचिव, टेस्टर, भारवाहक) को हस्तगत कराना होगा। सामान्य परिस्थिति में संघ द्वारा प्रत्येक दिन सुबह पाली का ट्रक-शीट उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे तक तथा रात्रि पाली का ट्रक-शीट अगले तारीख के सुबह चार बजे उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त संवेदक संघ द्वारा प्रत्येक पाली में निर्गत ट्रक-शीट के पीछे सभी समिति के प्रतिनिधि से उनके द्वारा आपूर्ति भरे केन की संख्या, दूध की मात्रा, आपूर्ति खाली जार की संख्या की प्रविष्टि करायेंगे या स्वयं करेंगे। चालक द्वारा हस्ताक्षरित भरे हुए ट्रक-शीट दूध तौल के पूर्व कार्यरत पाली प्रभारी को सौंपेंगे। उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं होने के स्थिति में संघ द्वारा प्रति पाली 250/- (दो सौ पचास) रु0 की दर से जुर्माना करने का अधिकार संघ को सुरक्षित रहेगा।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर



7. मुख्य पथ से अगर शटल पथ जुड़ा हो तो, शटल पथ के परिवहन संवेदक को खाली केन, पत्र, ट्रक-शीट, पशु आहार, एसीड, अल्कोहल, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चारा एवं अन्य सामग्री निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार मुख्य पथ के संवेदक को सौपनी होगी। सामग्री जिस अवस्था में दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र) से प्राप्त करेंगे शटल पथ के संवेदक को भी समितियों से प्राप्त उपरोक्त अंकित सभी सामान को ठीक उसी अवस्था में मुख्य पथ के संवेदक को सौपना होगा। सामग्रियों के लेन-देन से संबंधित पंजी का साधारण दोनों संवेदकों को करनी होगी तथा सामान टूट-फूट, नुकसान की स्थिति में हुई क्षति की वसूली संबंधित संवेदक से किया जायेगा।
8. मुख्य पथ एवं शटल पथ के संवेदक द्वारा किसी कारणवश समितियों से प्राप्त दूध एवं अन्य सामग्री परिवहन कर दुग्ध संघ तक नहीं ला पाने की स्थिति में हुई क्षति की कटौति संवेदक से किया जायेगा। परिवहन गाड़ी खराब या अन्य किन्हीं कारणों से दूध परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने की संपूर्ण जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
9. किसी कारणवश परिवहन संवेदक समिति का दूध एवं अन्य सामग्री छूट समय के साथ/निर्धारित समयानुसार परिवहन करने में असफल होता है, तो वैसी परिस्थिति में मुख्या पथ एवं शटल पथ की समितियों के दूध के खट्टा /दही होने से हुई क्षति की पूर्ण कटौति संवेदक के विपत्र से कटौती कर समिति को भुगतान की जायेगी।
10. शटल पथ के संवेदक, समितियों से संबंधित दूध केन एवं अन्य सामग्री मुख्य पथ के संवेदक को निर्धारित समय-तालिकानुसार निर्धारित स्थान पर सौपने में असफल होने की स्थिति में शटल पथ के संवेदक को दुग्ध संघ तक दूध केन एवं अन्य सामग्री पहुंचाना होगा, परंतु उन्हें अतिरिक्त तय की गई दूरी का भाड़ा का भुगतान नहीं होगा। समिति एवं संघ को इसके कारण क्षति की कटौति शटल पथ के संवेदक के विपत्र से की जायेगी। ऐसी स्थिति में मुख्य पथ के संवेदक को उसी दिन तथा पाली में दुग्ध संघ को लिखित सूचना देनी होगी जिसमें शटल पथ की गाड़ी निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने का उल्लेख हो। दुग्ध संघ या समिति द्वारा आपूर्ति किये गये सामान की अतिरिक्त संवेदक द्वारा पैसेंजर या अन्य सामग्री ढोने का कार्य परिवहन में संलग्न गाड़ी द्वारा नहीं किया जायेगा। उक्त शर्तों के उल्लंघन करने पाये जाने पर प्रथम बार उस पाली अर्थात् एक पाली का विपत्र संघ द्वारा कटौति कर लिया जायेगा। उक्त शर्तों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में एकरारनामा रद्द करने तथा पूर्ण जमानत की राशि जप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
11. दुग्ध परिवहन के दौरान संघ में कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारियों (प्रबंध निदेशक, उप प्रबंधक, चारा विकास पदाधिकारी, सहायक प्रबंधक, दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी, वरीय पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, प्रापण सहायक, डेयरी कर्मी) इत्यादि को परिवहन गाड़ी जाँच करने का अधिकार होगा। परिवहन मात्रा या गुणवत्ता की समस्या के कारण समिति के सचिव अथवा अध्यक्ष परिवहन गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु संवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी पर नहीं चढायेंगे तथा परिवहन गाड़ी पर अन्य सामान का परिवहन नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर प्रति केस रु0 500.00 (रुपये पाँच सौ) तक आर्थिक जुर्माना किया जायेगा।
12. परिवहन संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर न्यूनतम मिडिल पास व्यवहार-कुशल एवं गाड़ी परिचालन संबंधी अनुज्ञा-पत्रधारी चालक के अतिरिक्त एक कुशल खलासी केन लोडिंग तथा अनलोडिंग हेतु अपने खर्च पर रखेंगे। गाड़ी के साथ गाड़ी का ऑनर-बुक, बीमा संबंधी कागजात, परिवहन नियमावली के तहत सभी कागजात को रखेंगे।
13. दूध पथ में पड़ने वाले समिति (सभी अथवा आंशिक रूप से) या पुरे दूध को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से दूध संग्रहण बंद करने का अधिकार दुग्ध संघ को पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। दुग्ध संघ द्वारा इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दिया जायेगा। समिति अथवा दुग्ध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बंद होने के कारण संवेदक को किसी प्रकार का हर्जाना क्षतिपूर्ति (यदि हो तो) दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा। दूध पथ की दूरी में वृद्धि या कमी करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। संवेदक को वास्तविक तय की गई दूरी के आधार पर दुग्ध संघ द्वारा भुगतान किया जायेगा।



14. संवेदक की गाड़ी पर कार्यरत चालक, खलासी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा परिवहन के दौरान या दुग्ध संघ परिसर में दूध की चोरी करते हुए अथवा हेरा-फेरी करते हुए पकड़े जाने पर संवेदक के एकरारनामा निरस्त करते हुए जमानत राशि जप्त कर परिवहन कार्य से मुक्त करने की कारवाई की जायेगी तथा कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली सभी समितियों का घटना की तिथि से एक माह पूर्व में हुई क्षति (दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता) की कटौती निम्नदर से की जायेगी :-

दूध — 50.00 रु0 प्रति लीटर

अथवा वर्तमान दुग्ध क्रय मूल्य तालिका के अनुरूप या जो अधिक हो

संघ द्वारा जॉच के उपरान्त अन्य परिस्थितियों में भी मात्रा तथा गुणवत्ता से संबंधित कटौती उपरोक्त दर से की जायेगी।

15. क्रमांक-14 में अंकित कटौति के अतिरिक्त समिति से प्राप्त सामान अथवा संघ द्वारा आपूर्ति किये गए सामान के खोने, चोरी करते हुए पकड़े जाने तथा समिति को आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा निम्नलिखित दर से परिवहन संवेदक से राशि की वसूली की जायेगी —

कैन ढक्कन सहित (अल्यु0)	—	6500.00 रु0 प्रति अदद
कैन ढक्कन सहित (स्टील)	—	5000.00 रु0 प्रति अदद
कैन लीड (अल्यु0)	—	1000.00 रु0 प्रति अदद
कैन लीड (स्टील)	—	800.00 रु0 प्रति अदद
जार 10 लीटर (प्लास्टिक)	—	500.00 रु0 प्रति अदद
जार 02 लीटर (प्लास्टिक)	—	200.00 रु0 प्रति अदद
सुपर सुधा पशु आहार	—	28.00 रु0 प्रति किलो

इसके अतिरिक्त जिन सामग्री का दर अंकित नहीं किया गया है उन समितियों की कटौति संघ द्वारा समिति को आपूर्ति दर से 20 प्रतिशत अधिक दर से की जायेगी। संघ का साख खराब होने की स्थिति में रु0 5000/- जुमाना भी किया जायेगा।

16. संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर व्यवहार—कुशल चालक तथा खलासी रखें। समिति अथवा संघ के सेवकों के साथ दुर्व्यवहार अथवा चोरी, दूध की हेरा-फेरी करते हुए पकड़े जाने वाले चालक अथवा खलासी को दुग्ध संघ द्वारा लिखित सूचना प्राप्ति के पश्चात् उस कर्मचारी (चालक/खलासी) को हटाने की बाध्यता संवेदक की होगी। संघ द्वारा पूर्व में हटाये गये चालक /खलासी भले ही वे पूर्व में किसी अन्य संवेदक के साथ संलग्न हो उन चालक तथा खलासी को किसी भी संवेदक द्वारा नहीं रखा जायेगा। कार्यालय के सामान्य प्रशासन के तहत चालक तथा खलासी को उचित ड्रेस में परिवहन कार्य तथा परिसर में आने के लिए संवेदक सुनिश्चित करेंगे। संवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि चालक तथा खलासी लुंगी पहनकर परिसर में न आये। परिवहन संवेदक, चालक, खलासी का पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
17. संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि चालक/खलासी किसी ऐसे कारनामे में शामिल अथवा सम्बद्ध होते हैं जिससे दुग्ध संघ की छवि खराब होती है वैसी स्थिति में संघ द्वारा परिवहन एकरारनामा तत्काल रद्द कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जप्त कर लिया जायेगा।
18. समितियों से आपूर्ति दूध का भारवाहक पर्ची/चालान प्रतिदिन प्राप्त करने एवं डेयरी डॉक पर देने की जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी। दूध की कमी होने पर परिवहन संवेदक के विपत्र से कटौति की जायेगी।
19. दुग्ध परिवहन की गाड़ी परिसर में प्रवेश के समय मुख्य गेट पर रुकेगी जहाँ सुरक्षा प्रहरी द्वारा केन की गिनती की जायेगी। संवेदक के प्रतिनिधि समिति से प्राप्त पत्र समान प्राप्ति रसीद सभी सुरक्षा प्रहरी को सुपुर्द करेंगे तथा पंजी में प्रविष्टि कर अपना हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप करेंगे। उसी प्रकार वापसी में निर्गत समान, पत्र इत्यादि दुग्ध संघ से प्राप्त कर अपना हस्ताक्षर करेंगे। डेयरी परिसर में अधिकतम 10 किलोमीटर/घंटा की गति से गाड़ी चलाया जायेगा। डेयरी डॉक पर संवेदक के प्रतिनिधित्व द्वारा व्यवस्थित रूप से भरे केन का अनलोडिंग किया जायेगा। अनलोडिंग के पश्चात उचित जगह पर एवं व्यवस्थित रूप से गाड़ी को पार्क करेंगे जिससे अन्य गाड़ी के परिचालन में असुविधा नहीं हो। वापसी में ट्रक-शीट प्राप्ति के पूर्व भंडार/कृत्रिम गर्भाधान शाखा के भंडार समिति के माँग के अनुसार सभी सामान प्राप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक के प्रतिनिधि की होगी। उक्त शर्तों के पालन नहीं करने पर अधिकतम प्रति केस 1000.00 (एक हजार) रु0 का जुमाना किया जायेगा।

20. समिति के माँग के आधार पर दुग्ध संघ द्वारा आपूर्ति तरल दूध (पौच/लूज) संबंधित समिति तक परिवहन करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इस मद में परिवहन संवेदक को मासिक आधार पर 0.75 (पचहत्तर) पैसा प्रति लीटर का भुगतान उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर संघ द्वारा किया जायेगा।
21. परिवहन संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी की अपने खर्च पर दूध परिवहन गाड़ी में स्थायी तौर पर हवादार छतरी की व्यवस्था कर आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिन के अन्दर संसूचित करना होगा। उक्त व्यवस्था के संदर्भ में संसूचित नही करने की स्थिति में आदेश रद्द किया जा सकता है।
22. दुग्ध संघ द्वारा संवेदक को अपने पथ के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य पथों में स्पेशल ट्रीप लगाने हेतु निर्देश दिया जा सकता है जिसका परिपालन संवेदक की बाध्यता होगी। इस कार्य हेतु संवेदक को उनके पथ के लिए स्वीकृत दर के आधार पर वास्तविक तय की गई दूरी का भुगतान किया जायेगा।
23. एकरारनामा अवधि के दौरान संवेदक द्वारा कार्यादेश में अंकित गाड़ी द्वारा ही दूध परिवहन का कार्य करेंगे। गाड़ी में खराब होने की स्थिति में उक्त शर्त संघ द्वारा शिथिल किया जायेगा, परंतु इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दुग्ध संघ को देनी होगी जिसमें नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का गाड़ी नम्बर तथा अवधि का उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नयी गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नही हो। दुग्ध संघ समिति तथा संवेदक के बीच आपसी ताल-मेल रहे इसके लिए आवश्यक है कि संवेदक द्वारा स्थायी चालक तथा खलासी को रखें। परिवहन कार्य तथा दुग्ध संघ से समान प्राप्ति हेतु संवेदक द्वारा संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा। संवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि चालक तथा खलासी प्रत्येक दिन दोनो पालियों में परिवहन के दौरान अपने पास पहचान पत्र रखे तथा गेट, प्लान्ट या भंडार में माँगे जाने पर प्रस्तुत करें। बिना पहचान पत्र धारण किये "चालक तथा खलासी" को परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके कारण हुई क्षति की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
24. रात्रि पाली में समितियों से संग्रहित दूध का डेयरी परिसर में पहुँचाने के बाद संवेदक द्वारा अपने चालक एवं खलासी के सोने की व्यवस्था परिसर के बाहर करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में चालक तथा खलासी को परिसर के अंदर सोने नही दिया जायेगा। संवेदक यदि चाहे तो रात्रि पाली में दूध सुपूद करने के पश्चात गाड़ी परिसर से बाहर ले जा सकते हैं, परन्तु साफ केन, समान, ट्रक-शीट इत्यादि की आपूर्ति निर्धारित समय पर ही की जायेगी जिसे संवेदक को प्राप्ति के लिए गाड़ी को पुनः परिसर में लाना होगा। चालक/खलासी को रात्रि पाली में परिसर में सोते पाये जाने की स्थिति में एक मुश्त 1000.00 (एक हजार) रु० का जुर्माना किया जायेगा।
25. रात्रि पाली में दूध परिवहन गाड़ी डेयरी परिसर में नही रखा जायेगा। डेयरी परिसर में पाये जाने पर प्रति रात्रि के लिए रु० 500.00 जुर्माना लगाया जायेगा।
26. एकरारनामा अवधि के दौरान अगर परिवहन संवेदक दूध परिवहन हेतु गाड़ी भेजने में असफल होते हैं तो वैसी स्थिति में संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी एवं खर्च पर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। उक्त व्यवस्था के तहत गाड़ी मालिक को संघ द्वारा किये गये वास्तविक भाड़ा तथा उस अवधि में विभिन्न कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई आर्थिक क्षति की कटौति परिवहन संवेदक से की जायेगी। क्षति का पूर्ण समायोजन विपत्र से नही होने की स्थिति में संघ में जमा जमानत राशि कटौति की जायेगी।
27. दुग्ध संघ द्वारा परिवहन भाड़ा के भुगतान हेतु संवेदक को दो प्रति में नीचे अंकित तिथियों में विपत्र प्रस्तुत करना होगा –

अवधि

01 से 15 तारीख —
16 से माह के अंतिम तिथि तक —

विपत्र जमा करने की तिथि

17 तारीख तक
02 तारीख तक



परिवहन संवेदक उक्त निर्धारित तिथि का उस पथ के पथ प्रभारी को विपत्र के सत्यापण हेतु प्रस्तुत करेंगे। परिवहन संवेदक के उक्त निर्धारित तिथि को विपत्र प्रस्तुतीकरण के बारह दिनों के अंदर दुग्ध संघ द्वारा बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौति (समिति दावा, क्षति, आयकर इत्यादि) के पश्चात भुगतान किया जायेगा। संघ द्वारा मात्र नीचे अंकित बैंक शाखा का चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

<u>समस्तीपुर</u>	-	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया – मुख्य शाखा। बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा – हरपुर एलौथ। डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को- ऑपरेटिव बैंक, शाखा – ताजपुर।
<u>रोसड़ा</u>	-	बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा – रोसड़ा।
<u>दरभंगा/मधुबनी</u>	-	इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा – दरभंगा।

अतः संवेदक अपनी सुविधा के अनुसार उक्त शाखाओं में अपना खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

परिवहन संवेदन को किसी तरह का अग्रिम देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में विपत्र के विरुद्ध 15 प्रतिशत ब्याज की दर से अग्रिम का भुगतान किया जा सकता है परन्तु अग्रिम के भुगतान पर परिवहन संवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा।

28. दर परिवर्तन : कुल मिलाकर डीजल के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी दो रुपया या उससे अधिक होने की दशा में अगस्त 2024 के माह में डीजल का दर 92.34 को आधार मानते हुए निर्धारित दर वर्ष में तीन वार क्रमशः 01 जनवरी, 01 मई एवं 01 सितम्बर से चार-चार माह के अन्तराल परिवर्तनीय होगा। वर्ष में डीजल दर 30 अप्रैल, 31 अगस्त एवं 31 दिसम्बर को आधार माना जायेगा। परिवर्तन के फलस्वरूप दर संशोधन हेतु डीजल खपत प्रति लीटर जीप, पीकअप भान के लिए 10 कि०मी०, टाटा – 407 के लिए 08 कि०मी० टाटा 709 के लिए 06 कि०मी० मानकर गणना की जायेगी। तथापि दर संशोधन तबतक नहीं होगा जबतक आधार दर में परिवर्तन प्रति दो रुपया या उससे कम/अधिक नहीं होगा। संशोधित दर उसके अगले भुगतान अवधि से लागू होगा।
29. जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान, चुनाव कार्य में लगाने हेतु परिवहन गाड़ी की माँग की जाती है। वैसी स्थिति में संवेदक की बाध्यता होगी कि दुग्ध संघ के लिखित निर्देश पर चालक सहित गाड़ी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार देय भुगतान की प्राप्ति संवेदक द्वारा सीधो प्राप्त की जायेगी।
30. उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार के विवाद इस अनुबंध के तहत प्रावधानों, व्याख्याओं, अधिकारों, उत्तरदायित्वों, जिम्मेवारियों, वसूली के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में प्रबंध निर्देशक या उनके प्रतिनिधि बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन (कम्फेड), पटना के प्रतिनिधि एकमात्र मध्यस्थ होंगे तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्ष को मान्य होगा। किसी न्यायिक कारवाई का क्षेत्र "समस्तीपुर कोर्ट" होगा।

हस्ताक्षर
(दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)

हस्ताक्षर
(संवेदक)



बन्ध – पत्र

हमलोग

01. श्री पिता श्री
उम्र पूरा पता
.....व्यवसाय
02. श्री पिता श्री
उम्र पूरा पता
.....व्यवसाय अपने आपको श्री
..... श्री पूरा पता

..... जिन्हे अब आगे परिवहन संवेदक कहा जायेगा, का जमानतदार घोषित करते हैं तथा यह जमानत देते हैं कि परिवहन संवेदक द्वारा दिनांक को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० जिसे अब "दुग्ध संघ" कहा जायेगा के साथ सम्पादित एकरारनामा के अनुरूप शर्तों का पालन करते हुए परिवहन कार्य सम्पादित करेंगे। हम यह भी जमानत देते हैं कि अगर परिवहन संवेदक द्वारा किसी प्रकार का गबन अथवा एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन के कारण कोई क्षति होगी तो हम दोनों दस-दस हजार रुपया की राशि तक की क्षतिपूर्ति स्वरूप संघ को भुगतान करेंगे। हम यह भी सहमति देते हैं कि संघ उपरोक्त जमानत की राशि किसी अन्य श्रोत अथवा परिवहन संवेदक से वसूली करने के बजाए हमसे वसूली कर सकती है। हमसे की गई उक्त राशि की वसूली इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि संघ ने परिवहन संवेदक से वसूली हेतु प्रयास किया है अथवा नहीं। हम यह भी सहमति देते हैं कि परिवहन संवेदक से एकरारनामा की शर्तों में संशोधन/परिवर्तन होने पर हम दोनों जमानती ऋण की बाध्यता से विमुक्त नहीं होते हैं। हम लोगो ने दुग्ध संघ और परिवहन संवेदक के बीच सम्पादित एकरारनामा को पढ़कर समक्ष लिया है। हम दोनों का दायित्व परिवहन संवेदक के प्रति व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से होगा।

जमानतदारों द्वारा हस्ताक्षर

01. नाम : हस्ताक्षर :
02. नाम : हस्ताक्षर :

गवाह

01. नाम : हस्ताक्षर :
02. नाम : हस्ताक्षर :

नोट : प्रत्येक जमानतदार तथा गवाह का फोटोयुक्त निर्वाचन पहचान पत्र या पैन कार्ड की छाया प्रति चिपकायें।

